# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## अधिसूचना

अ०स०:–2/अ0प्र0–01–59/2023 1659 /पटना, दिनांक :– 1-8-23

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत् छूटे ग्रामों/टोलों/बसावटों जिसे अभी तक बारहमासी एकल सम्पर्कता प्राप्त नहीं है, की सूची तथा इसके लिए प्रस्तावित पथ की अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु भेजे गये अर्द्धसरकारी पत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी माननीय मंत्री महोदय के पदीय गरिमा का ध्यान नही रखते हुये सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शित नहीं करने के कारण बरती गयी शिष्टाचारविहीनता, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) को अधिसूचना संख्या–781–सह–पठित ज्ञापांक–782 दिनांक 20.04.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया निर्धारित किया गया।

2. मामले से संबंधित त्रुटिपूर्ण अर्द्धसरकारी पत्रों के आधार पर श्री भाटिया के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 950 अनु0 दिनांक 04.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तद्आलोक में श्री भाटिया के पत्रांक शून्य दिनांक 18.05.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में श्री भाटिया द्वारा मामले से संबंधित अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि निर्गत किये गये पत्र का प्रारूप उनके स्तर से अग्रसारित नहीं किया गया है।

3. श्री भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार) के पत्रांक शून्य दिनांक 06.07.2023 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री भाटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने एवं गठित आरोप पत्र के आधार पर मामले की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त हुआ है।

5. अतः उक्त आलोक में श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय– अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री भाटिया ग्रामीण कार्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे।

6. श्री भाटिया के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

7. श्री भाटिया के निलंबन अवधि का विनियमन का निर्णय इनके विरूद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1/8/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.
E/2021/Suspension_

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–59/2023 1660 /पटना, दिनांक :– 1-8-23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–59/2023 1660 /पटना, दिनांक :– 1-8-23

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/6, ग्रामीण कार्य विभाग/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार) क्षेत्रीय प्रयोगशाला गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–59/2023 1660 /पटना, दिनांक :– 1-8-23

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

1/8/2023

विशेष सचिव